

परिशिष्ट II

लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/संशोधन

(पैरा 9.6 देखें)

मंत्रालय का नाम	पीएसयू का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी/सुझाव संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण	मासले केन्द्रीय हार्डिंग और कारपोरेशन	कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति सं 12 के अनुरूप बीमा कम्पनी से किए गए दावों का लेखांकन समाधान नहीं किया था।	बीमा दावों के संबंध में लेखांकन नीति 12 का संशोधन किया गया था।
कृषि भारी उद्योग	राष्ट्रीय निगम लिमिटेड भारत	कम्पनी ने एएस -1 की आवश्यकताओं के अनुसार संदिध्य ऋणों के लिए प्रावधान बनाने के संबंध में अपनी लेखांकन नीति उद्योगित नहीं की थी।	अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए प्रावधान बनाने के लिए नई लेखांकन नीति अपनाई गई थी।
भारत	हेवी कम्पनी, एल 1, निकालने के लिए तुलनात्मक विवरण तैयार	कम्पनी ने परिवहन ठेकेदार के साथ एक शहर से दूसरे शहर के आधार पर बीजों के परिवहन के लिए करार किया था और इस प्रकार करार की शर्तों के अनुसार लम्बी दूरी के लिए भुगतान किया।	मंगाई गई निविदा हेतु नए करार में भुगतान की शर्तों को बदल कर लोडिंग प्याइट से सुपुर्दगी प्याइट तक कर दिया गया था।

मंत्रालय का नाम	पीएसयू का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी/सुझाव संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
इलेक्ट्रीकल्ट्स लिमिटेड	करते समय उत्तराई लागत से कर और शुल्क/माल भाड़े की कटौती करने में विफल रही जो कि निविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहकों द्वारा वापिस करने योग्य था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 लाख की हानि हुई।	लिए सीएस उत्तराई लागत तैयार करते समय कर और शुल्कों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने के लिए एक विस्तृत परिपत्र जारी किया।	
रक्षा	हिन्दुरक्षान एरोनोटिक्स लिमिटेड	15 दिन से कम तक अल्पावधि निवेश के लिए, अधिशेष निधियों को निवेश करने के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अन्तर्गत यथा निर्धारित समिति के अनुमोदन के बिना, संसाधित किया जा रहा था।	लेखापरीक्षा द्वारा संशोधनों के सुझावों को समाविष्ट करने के बाद, बोर्ड द्वारा अल्पावधि निवेश की प्रक्रिया अनुमोदित की गई थी।
		विगत में एवरएल द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व के अन्तर्गत चलाए जा रहे रक्तूलों पर किया जाने वाला व्यय को सम्मिलित करना।	वर्ष 2010-11 के लिए सीएसआर व्यय को संकलित करते समय, एवरएल रक्तूलों को व्यय हेतु दिए गए अनुदान/सहायता को शामिल नहीं किया गया था।